उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5,
संख्याः–706/XX(5)/16–24(हो0गा0)/2006
देहरादूनः दिनांकः 2 अगस्त, 2016

प्रदेश के होमगार्ड्स लिपिक संवर्गीय पदों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु, गृह अनुभाग–05, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–669/XX(5)/16–24(हो0गा0)/2006, दिनांक–02.08.2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां गृह अनुभाग–05 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

संलग्नः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार
गृह अनुभाग–5
संख्या–669 XX(5)/16–24(हो0गा0)/2006
देहरादून दिनांक– 02 अगस्त 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड होमगार्डस् लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली में भर्ती व पदोन्नति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित सेवा नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड, होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग सेवा में समूह 'ख' व 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई, प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य परिशिष्ट 'क' में इस रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ग) "आयोग" का तात्पर्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;
(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ड.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;
(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग कर्मचारी सेवा से है;
(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) मुख्यालय एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों में समान वेतनमान के विभिन्न श्रेणियों के पदों का एक समान संवर्ग होगा। इसी प्रकार डिवीजनल कमाण्डेन्ट कार्यालयों, जिला कमाण्डेन्ट कार्यालयों एवं कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यालयों में समान वेतनमान के पदों का एक पृथक् समान संवर्ग होगा।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(3) जब तक कि पदों की संख्या में शासन द्वारा परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है :

परन्तु––

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग–तीन
भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, जिला कमाण्डेन्ट एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय

(1) कनिष्ठ सहायक

कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती)(संशोधन) नियमावली, 2013 के अनुसार की जायेगी।

(2) वरिष्ठ सहायक

वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(3) प्रधान सहायक

प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(4) प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

(6) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी।

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय, लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती)(संशोधन) नियमावली 2013, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 तथा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न 2010, (संशोधन) 2015 लागू है, उपर्युक्त में जब भी समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा संशोधन किया जायेगा, वह संशोधन तथा प्रक्रिया होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में यथावत लागू रहेगी।

भाग–चार
अर्हताएं

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रयुक्त सरकारी आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश–केन्या, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो–

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो–

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले–

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो :–

योग्यताएं

क–कनिष्ठ सहायक

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उतीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर टंकण में 4000 KDPH की गति होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –
प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की स्थिति में, उच्चत्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या निगम द्वारा पद्च्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूलनियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच
भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की आधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट, जिला कमाण्डेन्ट, एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती की परीक्षा का पाठ्यक्रम व प्रकिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय। अधीनस्थ चयन सेवा अयोग के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' के पदो के लिये चयन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली– 2003 में निहित की गयी हो।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. (1) मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मण्डलीय कमाण्डेन्ट कार्यालयों, जिला कमाण्डेन्ट कार्यालयों एवं जिला प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालयों के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

(क) कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,	अध्यक्ष
(ख) डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स अथवा मण्डलीय कमाण्डेन्ट/समकक्ष	सदस्य
(ग) स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स अथवा कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स/कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स	सदस्य

(2) समिति के सदस्य अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति हेतु विचार करेगी।

उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2003 के प्रावधान लागू होंगे।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग –छः
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उस क्रम में करेंगे जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 अथवा 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

(2) यदि किसी वर्ष नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक की दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार में उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर, किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति, नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा,

यदि—

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते है :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति का आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी, जो नियम 18 के उप नियम (02) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथा स्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्त्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(1) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(2) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(3) जहाँ नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्त्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्त्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी हैं।

भाग–सात
वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त विभिन्न श्रेणियों के पदों का वेतनमान परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों (फण्डामेन्टल रूल्स) में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतनमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत (फण्डामेन्टल रूल्स) नियमों द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग– आठ
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लियें अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों पर विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए, जो आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–क

देखिये नियम 4(2)

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स लिपिक वर्गीय संवर्ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 2015

क्र. सं.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या		योग	वेतनमान (रू0 में)	ग्रेड पे (रू0 में)	नियुक्ति प्राधिकारी	
		स्थायी	अस्थायी				मुख्यालय	जनपद/इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कनिष्ठ सहायक	16	–	16	5200–20200	2000	स्टाफ अधिकारी	जिला कमाण्डेन्ट/कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र
2	वरिष्ठ सहायक	14	–	14	5200–20200	2800	तदैव	तदैव
3	प्रधान सहायक	9	–	9	9300–34800	4200	तदैव	तदैव
4	प्रशासनिक अधिकारी	5	–	5	9300–34800	4600	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	तदैव
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	5	–	5	9300–34800	4800	तदैव	–
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	1	–	1	15600–39100	5400	तदैव	–
योग		50	–	50				

(डॉ उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **'the constitution of India'**, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of notification No. -------/------ Dated: for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
HOME SECTION-5

No. ~~2016~~ 669 XX(5)16-24(H.G.)2016
Dated 02 Aug, *2016*

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre Service.

THE UTTARAKHAND HOME GUARDS MINISTERIAL GRADE CADRE SERVICE RULES, 2016

Part –I
General

Short title and commencement 1. (1)These Rules may be called The Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre Rules, 2016

(2) It shall come into force at once.

Status of the service. 2. The Uttarakhand Home Guards Ministerial Grade Cadre comprises Group "B" and "C" posts.

Definitions. 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) **"Appointing Authority"** means the authority specified as such in Appendix 'A';

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(d) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(e) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(f) **"Member of the service"** means a person substantively appointed to a post in the cadre of the Service under these Rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules;

(g) **"Service"** means the Uttarakhand Home Guards Assistants (Ministerial Staff) Service;

(h) "Substantive Appointment" means an Appointment, not being an *ad hoc* Appointment, made after selection in accordance with the Rules, and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART - II – CADRE

Cadre of service 4. (1) There shall be a common cadre of the various categories of posts in identical scales of pay in the Directorate and Central Training Institute Offices. Similary posts in identical scales of pay in the offices of Divisional Commandants, District Commandants, Commandants District Training Centers shall constitute a separate common cadre.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government of Uttarakhand time to time.

(3) The strength of Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (2), be as given in Appendix 'A' :

Provided that -

(i) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III – RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :

(A)- DIRECTORATE, CENTRAL TRAINIG INSTITUE, OFFICES OF DIVISIONAL COMMANDANTS, DISTRICT COMMANDANTS AND DISTRICT TRAINING CENTRES

(1) Junior Assistant	Recruitment to the post of junior assistant shall be made according to uttrakhand subordinate office ministerial staff (direct recruitment) (Amendment) rules-2013.
(2) Senior Assistant	Recruitment to the post of senior assistant shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(3) Head Assistant	Recruitment to the post of head assistant shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(4)Administrative officer	Recruitment to the post of administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(5)Senior Administrative officer	Recruitment to the post of senior administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.
(6) Chief Administrative officer	Recruitment to the post of chief administrative officer shall be made by promotion by uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015.

Subordinate offices ministerial staff service (direct recruitment) rules 2013, uttrakhand determination of eligibility period for promotion to the post of ministerial grade cadre in services rules 2015 and staffing pattern when amended by uttarakhand government shall also remain in force in homeguards and civil defence department.

PART IV - QUALIFICATIONS

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be:

(a) a Citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before Ist January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided further that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications

8.For the purpose of direct recruitment to the various posts in the Service, a candidate must have the following qualifications :

Post	Qualifications
1.(a) Junior Assistant (Junior Clerk)	(i) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttarakhand or an examination recognised as equivalent there to by the Government and must have a computer typing speed of 4,000 KDPH.

Preferential qualifications

9. A candidate who has :

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B'/'C' Certificate of National Cadet Corps,

(iii) Registration in regional employment office, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 42 years on January 1 in the year in which the recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on 1st July if the posts are advertised during the period from 1st July to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government, from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character

11. The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note - A person dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living, or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he/she be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he/she shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the Rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III :

Provided that a Medical Certificate of Fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, under Rule 6, and will inform to subordinate selection commission.

Procedure for direct recruitment

15. Directorate, Central Training Institute, Divisional Commandant, District Commandant, and in the offices of the Commandant district training center recruitment to the post of junior assistant the syllabus and procedure will be determined by the Government of Uttarakhand from time to time. The selection procedure to group 'C' posts which to be field by subordinate selection commission will be like the posts of group 'C' which are outside the purview of Uttarakhand Public Service Commission direct recruitment Procedure rules 2003.

Procedure for recruitment by promotion

16. (1) For the vacancies of directorate, Central Training Institute, divisional commandant offices, district commandant offices and commandant district training centre offices the recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, through the Selection Committee constituted as under:-

(a) Commandant General, Home Guards (b) Deputy Commandant General Home Guards or Divisional Commandant/equivalent	Chairman
(c) Staff Officer, Home Guards and Civil Defense Or District commandant/commandant district training centre nominated by commandant general home guards	Member Member

(2) The members of committee will prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and will place before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered necessary.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of promotion of candidates subject to the rejection of unfit on the basis of records referred to in sub-rule (2).

For the above posts for promotion 'Uttarakhand (outside the scope of the Public Service Commission) services under government subject to rejection of unfit and on the basis of seniority and merit selections made by the Rules of Procedure to be adopted, the 2009 provision will apply.

Combind selection list

17. If in a year is appointment is done by both direct recruitment and by promotion,then a combine selection list will be made by taking names from the relevant lists so that the prescribed percentage will be present. The first name on the list will be from appointed by promotion.

Appointment

18. (1)The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 15 or 16, or 17as the case may be,

(2) If in a year recruitment is to be done by both direct recruitment and promotion, regular recruitment will not be done until the selection is done from both sources and until a combined selection list is made under Rule 17 .

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in the order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood is the cadre from which they were promoted. If appointment is made from direct recruitment and by promotion then the list will be under rule 17 in a circular fashion.

Probation

19. (1) A person on appointment to a post in the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. The probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(b) his integrity is certified;

(c) his work and conduct are found to be satisfactory; and

(d) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of posts shall be determined by the uttarakhand government servant (determination of seniority) rules 2002. And if two or more persons are appointed together, their seniority will be decided by the order in which their names are arranged in the appointment order.

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order :

Provided further that if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be the same as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (2) of rule 18.

(2) The inter se seniority of the persons appointed directly on account of any one selection, shall be the same as determined by the Selection Committee :

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the Appointing Authority as to the validity of reasons shall be final.

(3) The inter se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4)where the appointment was made from promotion or by direct recruitment or by a single source and there is separate quota fixed for sources then the seniority will be decided so mutually combined seniority list drawn up in accordance with Rule -17 cyclical names are numbered in the order thus determined the prescribed percentage will be made.

Provided that-

(1) Where from a source appointments are made greater than the fixed quota, the seniority of such appointed persons will be fixed lower in the forth coming year/years in which appointment is done according to the quota fixed.

(2) Where the appointment is made lesser than the fixed quota of a source and if the appointments are made against such vacant posts in the forthcoming year/years, such appointed persons will get the seniority of the year in which their appointment is made but not of the previous year/years. And their name will be placed on the top of that year's combined selection list (list made under this rule) in which names are place in circular fashion.

(3) where the appointment are made from a source by following rules and procedures and such vacant posts can be filled from other source by following corresponding rules, and appointments is done more than the prescribed quota, then the so appointed person will get the seniority of that particular year supposing that his appointment is done against his quota of vacant posts.

PART VII PAY ETC.

Scale of pay

22. (1)The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of various categories of post at the time of the commencement of these Rules are as mentioned in Appendix 'A'.

Pay during probation

23. (1)Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2)The pay during probation of person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3)The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules, applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving.

27. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

By order

(Principal Secretary, Home)
Uttrakhand dehradun

APPENDIX 'A'
(See Rules 4(2)
The Uttarakhand Home Guards Assistants (Ministerial) Service

Sl. No.	Designation of the post included in the Service	No of posts			Pay scale	Grade pay	Appointing Authority	
		Permanent	Temporary	Total			Directorate	District/ Unit
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Junior Assistant	16	-	16	5200-20200	2400	Staff Officer	District Commandant/ Commandant, District Training Centre
2	Senior Assistant	14	-	14	5200-20200	2400	do	do
2	Head Assistant	9	-	9	9300-34800	4200	do	do
4	Administrative Officer	5	-	5	9300-34800	4600	Deputy commandant general	do
5	Senior Administrative Officer (Gazetted)	5	-	5	9300-34800	4800	do	-
6	Chief Administrative Officer	1	-	1	15600-39100	5400	do	-
Total		**50**		**50**				

By order

(Principal Secretary, Home)
Uttarakhand, dehradun